"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर 2017—कार्तिक 17, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सलवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011, दिनांक 18-11-2011, दिनांक 10-05-2012, दिनांक 12-11-2012, दिनांक 29-01-2013, दिनांक 18-07-2013, 24-01-2014, 08-08-2014, 11-11-2014, 11-05-2015, 03-12-2015, 09-05-2016, 21-11-2016 तथा दिनांक 08-05-2017 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समय-समय पर वृद्धि की गई है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 11-11-2017 के पश्चात् दिनांक 10-05-2018 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.